जीन का पेटेंट नहीं हो सकता

ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है कि जीन्स का पेटेंट गलत है, और जीन्स पेटेंट करने योग्य आविष्कार नहीं माने जा सकते। हालांकि न्यायाधीशों के बीच निष्कर्ष को लेकर आम सहमति थी मगर इस निष्कर्ष तक पहुंचने के उनके कारण अलग-अलग थे।

बहुमत न्यायाधीशों का मत था कि जीन का प्रमुख भाग उसकी भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि वह जानकारी है जो उसमें संग्रहित होती है और वह जानकारी कोई आविष्कार नहीं है। न्यायाधीशों ने अपने फैसले में लिखा, "(जीन का) सार वह जानकारी है जो न्यूक्लियोटाइड की जमावट में संजोई गई है। यह जानकारी मानव क्रिया द्वारा निर्मित नहीं हुई है, मात्र पढ़ी गई है।"

न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि यदि पेटेंट की अनुमति दी जाती है तो इसका उल्लंघन हर वह व्यक्ति करेगा जो इसकी जांच करता है। मसलन पैथॉलॉजिस्ट को यह पता भी नहीं चलेगा कि वह इस पेटेंट का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि वह तो उस जीन द्वारा संपादित कार्य की जांच करेगा जबकि जांच के बाद ही उसे पता चलेगा कि उक्त जीन उसमें शामिल है। तब तक तो वह उल्लंघन का दोषी बन चुका होगा। अर्थात यदि जीन्स पर पेटेंट दिया गया तो इसका स्वास्थ्य सेवा तथा अनुसंधान पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

इसी फैसले में न्यायाधीशों के एक समूह ने कहा कि पेटेंट का विषय तो डीएनए का एक अलग-थलग टुकड़ा है मगर वह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसलिए यह पेटेंट योग्य नहीं है। उनका कहना था कि शायद किसी जीन को उपयोग करने की तकनीक का पेटेंट हो सकेगा मगर स्वयं जीन का नहीं।

ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की अदालत का यह फैसला लगभग वैसा ही है जैसा पिछले वर्ष यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जीन पेटेंट को खारिज करते हुए दिया था। मगर यूएस कोर्ट ने कहा था कि पूरक डीएनए को पेटेंट किया जा सकता है। पूरक डीएनए उसे कहते हैं जो प्रयोगशाला में आरएनए से प्रतिलिपि करके बनाया जाता है। इस पूरक डीएनए में जीन के कुछ हिस्से (इन्ट्रॉन्स) नहीं होते। इस बात को लेकर यूएस कोर्ट के फैसले की काफी आलोचना हुई थी। आलोचना का मुख्य आधार यह था कि पूरक डीएनए चाहे संरचना में थोड़ा अलग हो, मगर काम तो वही करता है जो प्राकृतिक जीन करता है। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाया है।

दरअसल, दुनिया भर में इस विवाद के मूल में मिरिएड जेनेटिक्स कंपनी द्वारा स्तन कैंसर के जीन पर पेटेंट का दावा रहा है। मिरिएड जेनेटिक्स ने इस जीन (BRCA1) में एक उत्परिवर्तन की खोज की थी जो स्तन कैंसर की संभावना को बढ़ाता है। मिरिएड जेनेटिक्स ने 21 वर्ष पूर्व BRCA1 में इस उत्परिवर्तन पर पेटेंट का दावा किया था। इस पेटेंट का मतलब यह होता है कि यदि किसी जांच में इस उत्परिवर्तन का पता चले तो वह मिरिएड जेनेटिक्स के पेटेंट का उल्लंघन होगा। इस जीन उत्परिवर्तन की जांच के लिए लायसेंस फीस 3000 डॉलर रखी गई थी।

इस संदर्भ में पहले दो मुकदमों में कोर्ट ने पेटेंट की अनुमति दे दी थी। मगर ताज़ा फैसले में इसे उलट दिया गया है, जिसका स्वागत किया जा रहा है। ***(स्रोत फीचर्स)***